संख्या:- 42/2023/423/छप्पन-2023-60/1993

प्रेषक,

कुमार हर्ष,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

2. जिलाधिकारी,
श्रावस्ती।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ:दिनांक: 27 मार्च, 2023

विषय: जनपद श्रावस्ती स्थित हवाई अड्डे के विकास एवं विस्तारीकरण हेतु भूमि का क्रय।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आयुक्त, देवी पाटन मण्डल, गोण्डा के पत्र संख्या: 1601/वै0स0/2023 दिनांक 12 मार्च, 2023 तथा जिलाधिकारी श्रावस्ती के पत्र संख्या: 1024/ना0स0-हवाई पट्टी/2023 दिनांक 12 मार्च, 2023 एवं निदेशक नागरिक उड्डयन के पत्र संख्या 311/आर0सी0एस0-2023-बी-1/2022 दिनांक 14 मार्च, 2023 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके माध्यम से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के पत्र संख्या: PLG/501/RCS/2023/52, दिनांक 03 मार्च, 2023 द्वारा श्रावस्ती हवाई अड्डे के वर्त्तमान रनवे End Centerline Coordination Points तथा संशोधित मास्टर प्लान पर अंकित माप (Dimension) के अनुसार भूमि को मौके पर चिन्हित करते हुए विकास/ विस्तारीकरण के लिए प्रथम चरण हेतु 149.902 हैक्टेयर एवं द्वितीय चरण हेतु 117.1676 हैक्टेयर अर्थात प्रस्तावित कुल 267.0696 हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि के क्रय हेतु कुल अनुमानित लागत रू0 335,27,68,291.00 (रूपए तीन अरब पैंतीस करोड़ सत्ताइस लाख अड़सठ हजार दो सौ इक्यानवे मात्र) पर अनुमोदन प्रदान किए जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है ।

2- श्रावस्ती स्थित हवाई पट्टी को एयरपोर्ट के रूप में विकसित किए जाने हेतु अतिरिक्त भूमि का क्रय करने के लिए मा0 मंत्रि-परिषद् की दिनांक 23 मार्च, 2023 को सम्पन्न बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं:-

(1) श्रावस्ती एयरपोर्ट के विकास/ विस्तारीकरण के लिए प्रथम एवं द्वितीय चरण हेतु प्रस्तावित कुल 267.0696 हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि के क्रय हेतु कुल अनुमानित रू0 335,27,68,291.00 (रूपए तीन अरब पैंतीस करोड़ सत्ताइस लाख अड़सठ हजार दो सौ इक्यानवे मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के साथ व्यय किए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

(2) आपसी समझौते के आधार पर भूमि के क्रय की नीति विषयक राजस्व विभाग के शासनादेश संख्या 2/2015/215/एक-13-2015-20(48)/2011 दिनांक 19 मार्च, 2015 द्वारा विहित व्यवस्था के अनुसार अन्तिम रूप से ऑकलित भूमि को क्रय किए जाने तथा क्रय की गई भूमि को ''श्री राज्यपाल द्वारा निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0'' के नाम दर्ज किए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(3) परियोजना क्षेत्र के अन्तर्गत पड़ने वाली विभिन्न शासकीय विभागों की परिसम्पित्तयों यथा वृक्षों**,** सड़कों, नहरों, बिजली के खम्भों, विद्युत लाइन्स, सब-स्टेशनों, विद्यालयों, ऑगनवाड़ी केन्द्रों इत्यादि तथा विभिन्न अवरोधों के विस्थापन, डायवर्जन तथा नव-निर्माण से सम्बन्धित कार्य सम्बन्धित विभागों द्वारा अपने विभागीय बजट से वहन किए जाने तथा शासकीय विभागों द्वारा अपनी भूमि एवं परिसम्पत्तियॉ इत्यादि नि:शुल्क एवं भारमुक्त रूप से नागरिक उड्डयन विभाग को उपलब्ध कराए जाने/अन्तरित किए जाने हेतु तथा यदि ऐसा करने से मा0 मंत्रि परिषद की स्वीकृति हेतु प्रस्तावित धनराशि में से कोई बचत होती है, तो बचत की धनराशि जिलाधिकारी, श्रावस्ती द्वारा राजकोष में जमा कराए जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

(4) परियोजना में किसी भी प्रकार के परिवर्धन/परिवर्तन की स्थिति में निर्णय लेने हेतु तथा अन्य सम्बन्धी कार्यों के सम्बन्ध में भविष्य में यथावश्यकतानुसार निर्णय लेने हेतु मा0 मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किए जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया ।

3- इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मा0 मंत्रि-परिषद् के उपर्युक्त निर्णयों के अनुपालन हेतु आवश्यक कार्यवाही सम्पादित कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कुमार हर्ष
विशेष सचिव

पृ0सं0: 42/2023/423(1)/छप्पन-2023-60/1993 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. आयुक्त, देवी पाटन मण्डल, गोण्डा के उनके उक्त सन्दर्भित पत्र दिनांक 13 मार्च 2023 के सन्दर्भ में ।
2. अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव, न्याय विभाग, वित्त विभाग, कार्मिक विभाग, गृह विभाग, राजस्व विभाग, ग्राम्य विकास विभाग, पर्यावरण जल एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, ऊर्जा विभाग, पंचायती राज विभाग, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग, पर्यटन विभाग, धर्मार्थ कार्य विभाग, बेसिक शिक्षा विभाग, उच्च शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा विभाग, महिला कल्याण विभाग, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग एवं नियोजन विभाग उत्तर-प्रदेश शासन ।
3. निदेशक, भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राजस्व परिषद् उ0प्र0 लखनऊ।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
आनन्द कौशिक
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in